फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मोडदान **बनाम** पवनकंवर वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....30.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.04.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को जोधपुर पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 बउनवान पवनकंवर बनाम हरीयाकंवर आदि मे पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी की पालना हेतु आदेशित नहीं किया गया है। अपीलांट मानकंवर का गोदपुत्र है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे स्वर्गीय मानकंवर द्वारा पूर्व मे ऋण लिया हुआ है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग करने मे असुविधा उत्पन्न हो रही है। जिससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा अंतरिम व्यादेश पारित किया गया है। कानूनन एकतरफा अंतरिम व्यादेश पारित किया जाता है तो अपीलांट अधिवक्ता को आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी की पालना हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त आदेश के तहत अपीलांट अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के सम्मन मय वादपत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत इस बाबत आदेशित नही किया गया है। जो कि कानूनन उचित नहीं है। अत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 बउनवान पवनकंवर बनाम हरीयाकंवर आदि मे पारित आदेश दिनांक 27.03.2023_ की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। जिससे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय के समक्ष मे विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः सहायक कलक्टर बागोडा को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 बउनवान पवनकंवर बनाम हरीयाकंवर आदि के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 01 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली